न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

[प्रक]रण संख्या: 149 / 2022

प्रार्थी :–

1. राणसिंह पुत्र डूगरसिंह
   जाति रावणा राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. उतमचन्द पुत्र रूगनाथमल
   जाति महाजन जैन निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी
2. गजाराम पुत्र भैराराम
3. हिन्दूराम पुत्र भैराराम
4. होतीराम पुत्र भैराराम
5. टीपूदेवी पत्नी भैराराम
6. तगाराम पुत्र केवाराम
7. भूपाराम पुत्र केवाराम
   जाति माली निवासी मालियों की ढाणी नगर तहसील गुड़ामालानी
8. वाधूदेवी पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी
9. केयर्न ऑयल एण्ड गैस वेदान्ता लि0 मण्डोर जोधपुर तहसील जोधपुर राजस्थान
10. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 01.11.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा मालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 649 रकबा 1.4002 हैक्टेयर किस्म बा.अ. का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा [illegible] पक्की माले नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव [illegible] विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:05:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र नगर के राजस्व ग्राम मालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 649 रकबा 1.4002 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 1/11/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:05:48 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी